

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.136/2024

RBE No.100/2024

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/2/2024 Com.No.260300)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:-Enhancement of Constant Attendent Allowance (CAA) under Railway Services
(Extraordinary Pension) Rules, 1993 – reg.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-F(E)III/2009/PN1/6, Dated-22.10.2024.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Signed by
Manoj Kumar Choudhary
Date: 28-11-2024 15:02:12
(एम. के. चौधरी)
सकाधि/ई.एस.एम.
कृते महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

आरबीई, सं. 100/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

सं. एफ(ई)III/2009/पीएन1/6

नई दिल्ली, दिनांक: 22.10.2024

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
महानिदेशक आरडीएसओ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।

विषय: रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत सतत परिचर भत्ते में
वृद्धि के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीएंडपीडब्ल्यू) के दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/5/2024-पीएंडपीडब्ल्यू(एफ) की प्रतिलिपि सूचना और अनुपालन हेतु संलग्न है। ये अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित रेलों पर भी लागू होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939, रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुरूप है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.10.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2017-पीएंडपीडब्ल्यू(एफ) को रेलवे बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.11.2017 के द्वारा रेलों पर परिपत्रित किया गया था।

जी. प्रिया सुदर्शनी

(जी. प्रिया सुदर्शनी)
निदेशक, वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

RBE No. 100/2024.

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)**

No. F(E)III/2009/PN1/6

New Delhi, dated: 22.10.2024.

The General Managers/Principal Financial Advisors,
All Zonal Railways/Production Units etc,
DGs of RDSO and NAIR.

**Subject:- Enhancement of Constant Attendant
Allowance(CAA) under Railway Services(Extraordinary
Pension) Rules, 1993-reg.**

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoP&PW)'s O.M. No. 1/5/2024-P&PW(F) dated 18th September, 2024 on the above cited subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on Railways also. Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 correspond to Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993. DoP&PW's O.M. No. 1/4/2017-P&PW(F) dated 03.10.2017 was circulated on Railways vide Railway Board's letter of even number dated 08.11.2017.

**(G. Priya Sudarsani),
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.**

D.A.: As above.

No. F(E)III/2009/PN1/6

New Delhi, Dated: 22.10.2024

Copy to:

Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance, Railway Board.

सं. 1/5/2024-पी&पीडबल्यू(एफ)-9809

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-एफ)

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट नई दिल्ली -110003

दिनांक : 18.09.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939/2023 के अधीन सतत परिचर भत्ता(सीएए) में वृद्धि के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 3 अक्टूबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2017-पी&पीडबल्यू(एफ) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा पे मैट्रिक्स में संशोधित वेतन पर देय महंगाई भत्ते में हर बार 50% की बढ़ोत्तरी होने पर सिविलियन पेंशनभोगियों को देय सतत परिचर भत्ते की दरों को 25% तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए(प्रतिलिपि संलग्न)।

2. व्यय विभाग ने अपने दिनांक 12.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-II(बी) द्वारा 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के 46% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 50% करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिनांक 01.01.2024 से सतत परिचर भत्ते की राशि को मौजूदा 6750/- रुपये से 25% बढ़ाकर 8438/- रुपये प्रति माह किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(दिलीप कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि :

मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि।

फा. न. 1/5/2024-P&PW(F)-9809
भारत सरकार Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग Department of Pension & Pensioners' Welfare
(Desk-F)

लोक नायक भवन 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट नई दिल्ली Khan Market, New Delhi-110 003
दिनांक Dated: 18.09.2024

OFFICE MEMORANDUM

विषय : Enhancement of Constant Attendant Allowance (CAA) under CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 / 2023 - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.1/4/2017-P&PW(F) dated 3rd October, 2017 conveying that the rate of Constant Attendant Allowance payable to the Civilian pensioners shall be increased by 25% every time the dearness allowance on the revised Pay in the Pay Matrix increased by 50% (copy attached).

2. Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 has issued instructions regarding enhancement of Dearness Allowance Rates from existing 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1st January 2024. Accordingly, all the Ministries / Departments may enhance the amount of Constant Attendant Allowance by 25% from the existing Rs.6750/- to Rs.8438/- per month with effect from 01.01.2024.

3. This issues with the approval of competent authority.

Signed by Dilip Kumar Sahu

Date: 18-09-2024 12:14:34
(Dilip Kumar Sahu)

Under Secretary to the Government of India
Tele. No. 011-24641627

To,

All Ministries/Departments of the Govt.of India as per standard distribution list.

Copy to:

President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.